संख्या- 77 /3056/41-2014-6 सा0/11

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. महानिदेशक, पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 13 दिसम्बर, 2014**

विषय: पर्यटन विभाग उ0प्र0 तथा राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, के घाटे व बन्द पड़े पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशालय के पत्र संख्या-199/8-16 पी0पी0पी0-79/सा0/2014, दिनांक-15.05.2014 एवं पत्र संख्या-485/8-16 पीपीपी-79/सा0/2014, दिनांक-05.07.2014 तथा 05.08.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-230/41-2009-249/90 टी0सी0-2ए, दिनांक-23.01.2009 एवं शासनादेश संख्या-2195/41-2011-6सा0/11टी0सी0, दिनांक-03.10.2011 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पर्यटन विभाग तथा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, के घाटे व बन्द पड़े पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

(क) महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक 782/8-16 (पीपीपी-79)/सा0 2013 दिनांक-12.07.2013 द्वारा प्रस्तावित पर्यटन विभाग/उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम की 22 सहायक कम्पनियों को समाप्त किया जाये।

(ख) पूर्व निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुये उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास

http://shasnadesh.up.nic.in

निगम/पर्यटन विभाग की इकाईयों को शासनादेश सं0-2195/41-2011-6 सा0/11 टी0सी0, दिनांक-03.10.2011 के अनुसार लीज एवं मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट पर दिये जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाये।

(ग) पर्यटन विभाग/उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों को लीज एवं डेवलपमेंट एग्रीमेंट तथा मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किये जाने के लिए ट्रान्जेक्शन एडवाइजर के रूप में नए कन्सल्टेंट की नियमानुसार नियुक्ति की जाये।

(घ) नए कन्सल्टेंट की नियुक्ति के बाद विभाग एवं कन्सल्टेंट द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त बन्द एवं घाटे में चल रही इकाईयों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लीज/मैनेजमेंट कान्ट्रेक्ट के आधार पर दिये जाने की शर्त निम्नानुसार होगी:-

(1) इन इकाईयों को 30 वर्ष के लिए लीज/मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट पर दिया जाना है, जिसको पुन: आगामी 30 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।

(2) उच्चतम लीज/कन्सेशन फीस देने वाले बिडर्स को चयनित किया जायेगा।

(3) लीज रेन्ट/कन्सेशन फीस में 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जायेगी।

(4) विडर्स को 5 वर्ष के अन्दर इकाईयों को विकसित करना होगा।

(5) 5 वर्ष के पश्चात वार्षिक लीजरेन्ट/कन्सेशन फीस अथवा कुल व्यवसाय की 5 प्रतिशत धनराशि, इनमें से जो भी अधिक होगी, लीजरेन्ट के रूप में देय होगी।

(6) बिडर्स एक इकाई अथवा समूह इकाईयों के लिए बिड कर सकता है।

(ड़) वर्तमान में नए वैल्युवर्स की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है तथा पर्यटन निगम की इकाईयों के मूल्यांकन हेतु पूर्व में नियुक्त दो वैल्यूअर्स-मे0 नाइटफ्रैंक, गुड़गांव तथा मे0 कोलियर्स इंटरनेशनल, गुड़गांव द्वारा दिसम्बर, 2012 में प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट खोली जाए एवं तदोपरान्त इसका भुगतान किया जाये। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट को आवश्यक अपडेशन के उपरान्त उपयोग में लाया जायेगा।

(च) प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग निविदा प्रक्रिया अपनाई जाये। इस प्रस्ताव को नए कन्सल्टेन्ट के माध्यम से विभाग द्वारा तैयार करते हुए प्रस्तुत किया जाये।

(छ) पर्यटन निगम में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के हित लाभ एवं समायोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:-

(1) इच्छुक कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0आर0एस0) का लाभ प्रदान किया जाये।

http://shasnadesh.up.nic.in

(2) वर्तमान सेवा शर्तो के आधार पर यदि नया प्रबन्धन एवं कार्मिक इच्छुक हो तो ऐसे कार्मिकों की सेवाएं नये प्रबन्धन को हस्तान्तरित किया जाये तथा जो कर्मचारी निगम में रहना चाहते हैं उनको निगम के अन्य क्रियाकलापों में समायोजित किया जाये।

(3) निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों या निगमों में समायोजित किये जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाय।

3- उक्त के अतिरिक्त पर्यटन निगम/पर्यटन विभाग की इकाईयों को लीज मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट हेतु बिड के समय निम्न सुझावों को ध्यान में रखा जाये:-

1. प्रस्तावान्तर्गत जो इकाईयॉ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के वित्त पोषण से निर्मित हुई है, उनमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उनसे विधिवत अनुमति भी ली जाये।
2. प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित इकाईयों को संचालित करने सम्बन्धी मूल उद्देश्य में कोई विचलन न हो।
3. भविष्य में यदि किसी इकाई के लीज एग्रीमेन्ट चयनित बिडर द्वारा शर्तो का उल्लघंन/दुरूपयोग पाया जाता है तो लीज एग्रीमेन्ट को समाप्त करने की प्रक्रिया हेतु सरलीकृत प्राविधान हो जिससे कोई विधिक बाधा न हो।
4. पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज पर देने हेतु ऐसे बिडर्स को वरीयता देने के लिए विचार कर लें, जिन्हें हॉस्पिटेलिटी एवं पर्यटन से सम्बन्धित कार्यो का पर्याप्त अनुभव हो ताकि योजना सफल सिद्ध हो।
5. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया समुचित पारदर्शिता बरती जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र बिडर्स को अवसर प्रदान कर उसका लाभ राज्य के पर्यटन विकास में हो सके।

4- यदि इकाईयों की लीजडीड पंजीकृत कराई जाती है तो उक्त स्थिति में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1 (ख) के अनुच्छेद 35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव

http://sikkimtourism.gov.in

<u>संख्या- 77 /3056 (1)/41-2014, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/अवस्थापना विकास विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, सचिव पर्यटन उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, पर्यटन उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव ।

http://shasnadesh.up.nic.in